पत्रांक–5/न0वि0/ना०सु०–02/2018.......113.......

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP
नागरिक सुविधा

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–25/09/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 02 (दो) शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा अंतर्गत TSP प्रक्षेत्र से कुल ₹ 4,11,05,096 (चार करोड़ ग्यारह लाख पाँच हजार छियानवे रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 02 (दो) शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा अंतर्गत TSP प्रक्षेत्र से कुल ₹ 4,11,05,096 (चार करोड़ ग्यारह लाख पाँच हजार छियानवे रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्न रूप से प्रदान की जाती हैः–

क्र0	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार/उप०को० का नाम
i	ii	iii	iv	v
1	आदित्यपुर नगर निगम	32145152	कार्यपालक पदाधिकारी	सरायकेला
2	चाईबासा नगर परिषद	8959944	कार्यपालक पदाधिकारी	चाईबासा
	कुल योग–	**₹41105096**		

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास– उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य–लघुशीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–34– शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड– 48S221780796340679 से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कंडिका–1 की सारणी के स्तम्भ–iv में अंकित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तम्भ–v में अंकित कोषागारों से की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016-2017) में उक्त बजट शीर्ष से निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र0	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
1	आदित्यपुर नगर निगम	40/27.05.2016	29687680	29687680
2	चाईबासा नगर परिषद	183/06.12.2016 331/21.02.2017	8276811 2470000	8276811 2470000

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि का उपयोग नागरिक सुविधा के निमित्त बजट आलेख के अनुसार–"It is the constitutional responsibility of urban local body to ensure that the city maintains habitable conditions all around and provide better living conditions which necessities supplementing various civic amenities in the cities. It is never feasible without providing street lighting, conservation of water bodies, developing parks, beautification of chawk /separator, crematorium, drains, waste handling equipments and other machineries such as fogging machine, tower ladder, tanker

Rakesh/E/shail./Nagrick Shubida(2018-19)-18

(

etc., town hall, community center, Old Age Home, Night Shelter, marriage hall, shopping complex etc. and all other components incidental to mitigate demand under this head." इसके अतिरिक्त किसी अन्य मद में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

11. संबंधित निकाय के प्रशासी पदाधिकारी स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए, स्वीकृत राशि से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/ना०सु०–02/2018.....113...../न0वि0वि0, राँची, दिनांक–25/09/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री कुणाल, CMM को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Rakesh/E/shail./Nagrick Shubida(2018-19)-19